सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–150/2015 दर्ज तिथिः–01.04.2015

1. हरूराम पुत्र ठाकराराम फौत के कायम मुकाम
   1/1 सदराम पुत्र हरूराम
   1/2 शंकराराम पुत्र हरूराम
   1/3 बिरबल पुत्र हरूराम
   1/4 एलची पुत्री हरूराम
   1/5 मूली देवी पत्नी हरूराम
2. मंगलाराम पुत्र ठाकराराम फौत के कायम मुकाम
   2/1 जालाराम पुत्र मंगलाराम
   2/2 पूनमाराम पुत्र मंगलाराम
   2/3 रूपादेवी पत्नी मंगलाराम
3. दानाराम पुत्र ठाकराराम
   जाति विश्नोई निवासी नेडीनाडी, धोरीमन्ना, तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर

.............................वादीगण

बनाम

1. भगवानाराम पुत्र रामुराम फौत के कायम मुकाम
   1/1 पुनमाराम पुत्र भगवानाराम
   1/2 रामचन्द्र पुत्र भगवानाराम
   1/3 गवरी पत्नी भगवानाराम
2. राजुराम पुत्र रामुराम
3. सुखराम पुत्र रामुराम फौत के कायम मुकाम
   3/1 गंगाराम पुत्र सुखराम
   3/2 बाबूलाल पुत्र सुखराम
   3/3 गजरों पत्नी सुखराम
4. लाभुराम पुत्र रामुराम
   जाति विश्नोई निवासी नेडीनाडी तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
5. प्रबन्धक,एसबीआई बैंक शाखा धोरीमना
6. तहसीलदार धोरीमना
7. कुशला पुत्र धीमा फौत के कायम मुकाम
   7/1 लाधु पुत्र कुशला
   7/2 पेमा पुत्र कुशला
   7/3 रामचन्द्र पुत्र कुशला फौत के कायम मुकाम
   7/3/1 हनुमान पुत्र रामचन्द्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:05:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

हरूराम बनाम भगवानाराम
2018 / 00029
मैन्युअल नंबर 150 / 2015
निर्णय दिनांकः 24.06.2025

7 / 3 / 2 मोहन पुत्र रामचन्द्र
7 / 3 / 3 पालु पत्नी रामचन्द्र
जाति विश्नोई निवासी लुम्बाणियों की ढाणी,नेडीनाडी, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर
........................असल प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री ओमप्रकाश विश्नोई
प्रतिवादीः—श्री रामनिवास विश्नोई
श्री रामजीवण विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88,53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—24.06.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण हिन्दु विधि से शासित है जो **मुतवफी पन्ना के** विधिक वारिश है। वक्त सेटलमेन्ट के समय वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पूर्वजों की पैतृक खातेदारी की भूमि तत्समय के ग्राम धोरीमना तहसील बाड़मेर में खसरा नम्बर 286 रकबा 3 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 287 रकबा 202—02 बीघा ,खसरा नम्बर 349 रकबा 98—10 बीघा कुल रकबा 300—15 बीघा आई हुई थी। तथा वक्त सेटलमेन्ट के समय उक्त भूमि का पर्चा लगान रामू, भारमल, ठाकरा पि.पन्नाराम के नाम बहेसियत बराबर बराबर जारी हुआ जिसमें वादीगण के वालिद ठाकरा का 1 / 3 हिस्सा ,भारमल का 1 / 3 हिस्सा व प्रतिवादीगण रामू का 1 / 3 हिस्सा पैतृक खातेदारी का था तथा इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण सख्या 1 से 4 व भारमल काबिज होकर काश्त करने लगे। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता रामू ने नाजायज रूप से वादीगण से छिपे तौर से खसरा संख्या 349 रकबा 98 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से अपने 1 / 3 हिस्से से रकबा 32 बीघा 17 बिस्वा से अधिक 43 बिघा भूमि का कुसला पुत्र धीमा को बेचान कर देने तथा कुसला द्वारा नामान्तकरण संख्या 41 पारित कर स्वीकृत होने से 43 बीघा भूमि की अलग तरमीम होने से नया खसरा संख्या 349 / 1 रकबा 43 बीघा कायम किये गए। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता रामू ने विधि विरूद्व तरीके से अपने 1 / 3 हिस्सा 32—17 बीघा से अधिक 10—03 बीघा भूमि का अधिक बेचान किया जो अब प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के हिस्से से कम किया जाना न्यायाचित है। तत्पश्चात भारमल पुत्र पन्ना का वर्ष 1998 में लाऔलाद व अविवाहित निधन हो गया तथा भारमल पुत्र पन्ना के लाऔलाद फोत होने पर भारमल के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिश उसके भाई रामू व ठाकरा थे तथा भारमल के 1/3 हिस्सा की भूमि में आधा हिस्सा रामू के हिस्से में तथा आधा हिस्सा ठाकरा के हिस्से में समाहित हो गया । तथा भारमल ने अपने अंतिम समय में इसी मुताबिक अपने हिस्से की भूमि का आधा—आधा भाग रामू व ठाकरा को कब्जा कर दे दिया तथा भारमल की मृत्यु पर वादीगण ने भारमल की जगह अपना नाम रेकर्ड दर्ज करवाने गए तो वादीगण को मालुम हुआ कि प्रतिवादी संख्या 3 सुखराम पुत्र रामूराम ने वर्ष 1971

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:05:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

में भारमल का गोदपुत्र बनकर जीवित भारमल को मृत बताकर उसके हिस्से की भूमि अपने नाम करवा ली जबकि भारमल 1971 में जीवित था तथा भारमल की मृत्यु सन् 1998 में हुई थी। प्रतिवादी संख्या 3 ने भारमल का गोदपुत्र बनकर भारमल के हिस्से की भूमि हड़प करने के लिए फर्जी तरीके से भारमल का गोदपुत्र बनकर उनके हिस्से की भूमि में अपना नाम राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा लिया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान ग्राम नेडीनाडी पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमना के खसरा संख्या 286, 287 कुल रकबा 202–05 बीघा में वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/2 हिस्सा तथा ग्राम लुम्बाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 349 रकबा 52–02 बीघा अर्थात 8.4336 है0, वादीगण का 1/2 हिस्सा से रकबा 48–15 बीघा व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पिता रामू द्वारा 43 बिघा भूमि बेचान करने के कारण वादीगण के खातेदारी में 5–05 बीघा भूमि घोषित की जावें। वादीगण ने खसरों की मिसल बन्दोबस्त पेश की ।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में बाद विधिवत तामिल प्रतिवादी संख्या 01 से 4 उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसका सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि–

- राजीनामे के अनुसार ग्राम नेडीनाडी पटवार हल्का नेडीनाडी तहसील धोरीमना के खेत खसरा संख्या 286 व 287 रकबा 202–02 बीघा अर्थात 32.7147 है0 में प्रतिवादीगण राजीनामा अनुसार 12 बीघा भूमि वादीगण को देंगे जो प्रतिवादी संख्या 3 सुखराम के विधिक वारिशान के हिस्सों में से समान रूप से कम होगी जो वादीगण हरूराम पुत्र ठाकराराम के कायम मुकाम, तथा दानाराम व मंगलाराम के कायम मुकाम को तीनों हिस्सों में बराबर मिलेगी। तथा ग्राम लुम्बाणियों की ढाणी पटवार हल्का नेडीनाडी के खेत खसरा संख्या 349 रकबा 52–02 बीघा अर्थात 8.4336 है0 में प्रतिवादी संख्या 3 सुखराम के कायम मुकाम के हिस्सों में से 6 बीघा भूमि वादी हरूराम के कायम मुकाम व मंगलाराम के कायम मुकाम व दानाराम के खाते में समान रूप से दर्ज होगी। तथा इसी प्रकार ग्राम नेडीनाडी के खेत खसरा संख्या 287 में प्रतिवादी संख्या 3 के कायम मुकाम के 1/9 हिस्से में से प्रत्येक के 4 बीघा भूमि कम करके वादीगण के हिस्से में समान रूप से जुड़ेगी। तथा ग्राम लुम्बाणियों के खेत खसरा संख्या 349 में प्रतिवादी संख्या 3 के कायम मुकामों के प्रत्येक के हिस्से में से 2–2 बीघा भूमि कम होकर वादीगण हरूराम के कायम मुकाम को 2 बीघा , मंगलाराम के कायम मुकाम 2 बीघा भूमि जुडेगी।
को 2 बीघा भूमि तथा दानाराम के हिस्से में से हिस्सा बढेगा जबकि प्रतिवादीगण में
- कि सभी वादीगणों का पैतृक रूप से हिस्सा बढेगा जबकि प्रतिवादीगण में गंगाराम,बाबूलाल व गजरों के अलावा शेष प्रतिवादीगण का हिस्सा बदस्तुर जारी रहेगा। खेत खसरा संख्या 287 में प्रतिवादी गंगाराम, बाबूलाल व गजरों के प्रत्येक के हि[illegible] 4 बीघा भूमि कम होने पर 1/9–1/9 हिस्से की जगह 37/404 वां हिस्सा [illegible] दाना का 1/9 हिस्से की जगह 53/404 वां हिस्सा हो जा[illegible] 3.6349 है0 में गंगाराम, बाबूलाल व गजरों के 0.6474 है0 भूमि [illegible]क के खाते से कम होकर यह भूमि दानाराम, हरूराम के कायम मु[illegible] व मंगलाराम के कायम मुकाम के खाते में जुड़ जायेगी। हरूराम के 4 वारिश हो[illegible] से प्रत्येक का 53/1616 वां हिस्सा व मंगलाराम के कायम मुकाम 3 होने से प्रत्येक के 53/1212 वां हिस्सा होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:05:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

- कि ग्राम लुम्बाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 349 में प्रतिवादी सुखराम के वारिश गंगाराम, बाबूलाल व गजरों के हिस्सों में से 2–2 बिघा भूमि कम होने से इनका 1/9 वें हिस्से की जगह प्रत्येक का 15/208 वां हिस्सा तथा वादी दाना का 31/208 वां हिस्सा , हरूराम के 4 वारिशों के प्रत्येक का 31/832 वां हिस्सा व मंगला के 3 वारिशों में प्रत्येक का 31/624 वां हिस्सा होगा।
- कि ग्राम लुम्बाणियों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 349 में प्रतिवादी राजूराम पुत्र रामुराम को 1/9 सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी भगवानाराराम पुत्र रामूराम के वारिशों को समान रूप से दिया जाकर खसरा नम्बर 349 में राजूराम का नाम हटाकर राजूराम का सम्पूर्ण हिस्सा भगवानाराम के कायम मुकाम के नाम घोषित किया जावें।

3. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादी व प्रतिवादी को राजीनामा अनुसार खातेदार घोषित किया जाने का निवेदन किया। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता मय समस्त उपस्थित पक्षकार द्वारा राजीनामा अनुसार हिस्सा घोषित करवाने पर अपनी लिखित सहमति के रूप में आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।

4. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पेश राजीनामा अनुसार घोषणा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5. प्रकरण में वादी द्वारा मुतनाजा आराजी पर वादीगण व प्रतिवादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत हिन्दू होने के कारण प्रकरण में सम्पति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधानों के तहत मुताबिक कानूनी हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। न्यायालय में वादी या प्रतिवादी राजीनामे के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत ही अनुतोष इकरार कर सकते हैं। प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 लागू होने तथा मुतनाजा आराजी प्रतिवादीगण की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी होने के आधार पर वादी का अनुतोष मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार हक हिस्से तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

7. अतः दावा वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 से 4 का. हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत जरिये राजीनामा अनुसार उक्त आराजी पैतृक आराजी होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से की घोषणा किया जाना न्यायोचित है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:05:17 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 286 गै.मु.ढाणी व 287 बा.सोयम कुल रकबा 202–02 बीघा अर्थात 32.7390 वाके ग्राम नेडीनाडी तथा

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

हरूराम बनाम भगवानाराम
2018/00029
मैन्युअल नंबर 150/2015
निर्णय दिनांक: 24.06.2025

खसरा संख्या 349 रकबा 52—02 बीघा अर्थात 8.4236 है0 वा.सोयम वाके ग्राम लुम्बाणियों की ढाणी पटवार हल्का नेडीनाडी तहसील धोरीमना में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजी में न्यायालय हाजा को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत सभी वादीगणों का पैतृक रूप से हिस्सा बढेगा जबकि प्रतिवादीगण में गंगाराम, बाबूलाल व गजरों के अलावा शेष प्रतिवादीगण का हिस्सा बदस्तुर जारी रहेगा। खेत खसरा संख्या 287 में प्रतिवादी गंगाराम, बाबूलाल व गजरों के प्रत्येक के हिस्सों में से 4—4 बीघा भूमि कम होने पर 1/9 —1/9 हिस्से की जगह 37/404 वां हिस्सा तथा वादी दाना का 1/9 हिस्से की जगह 53/404 वां हिस्सा घोषित किया जाता है तथा भूमि 3.6349 है0 में गंगाराम , बाबूलाल व गजरों के 0.6474 है0 भूमि कम होकर यह भूमि दानाराम, हरूराम के कायम मुकाम व मंगला के कायम मुकाम के खाते में जुड़ जायेगी। हरूराम के 4 वारिश होने से प्रत्येक का 53/1616 वां हिस्सा व मंगलाराम के कायम मुकाम 3 होने से प्रत्येक के 53/1212 वां हिस्सा घोषित किया जाता है। ग्राम लुम्बाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 349 में प्रतिवादी सुखराम के वारिश गंगाराम, बाबूलाल व गजरों के हिस्सों में से 2—2 बिघा भूमि कम होने से इनका 1/9 वें हिस्से की जगह प्रत्येक का 15/208 वां हिस्सा तथा वादी दाना का 31/208 वां हिस्सा , हरूराम के 4 वारिशों के प्रत्येक का 31/832 वां हिस्सा व मंगला के 3 वारिशों में प्रत्येक का 31/624 वां हिस्सा घोषित किया जाता है। ग्राम लुम्बाणियों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 349 में प्रतिवादी राजूराम पुत्र रामुराम को 1/9 सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी भगवानारारम पुत्र रामूराम के वारिशों को समान रूप से दिया जाकर खसरा नम्बर 349 में राजूराम पुत्र रामूराम का नाम हटाकर राजूराम का सम्पूर्ण हिस्सा भगवानाराम के कायम मुकाम के नाम घोषित किया किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी में घोषित हक हिस्से तक संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज दिनांक 24.06.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

24/6/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर
धोरीमना—बाड़मेर

सहायक कलेक्टर (SDO) धोरीमना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:05:17 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–150/2015

दर्ज तिथिः–01.04.2015

1. हरूराम पुत्र ठाकराराम फौत के कायम मुकाम
   1/1 सदराम पुत्र हरूराम
   1/2 शंकराराम पुत्र हरूराम
   1/3 बिरबल पुत्र हरूराम
   1/4 एलची पुत्री हरूराम
   1/5 मूली देवी पत्नी हरूराम
2. मंगलाराम पुत्र ठाकराराम फौत के कायम मुकाम
   2/1 जालाराम पुत्र मंगलाराम
   2/2 पूनमाराम पुत्र मंगलाराम
   2/3 रूपादेवी पत्नी मंगलाराम
3. दानाराम पुत्र ठाकराराम
   जाति विश्नोई निवासी नेडीनाडी, धोरीमन्ना, तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर

..............................वादीगण

बनाम

1. भगवानाराम पुत्र रामुराम फौत के कायम मुकाम
   1/1 पुनमाराम पुत्र भगवानाराम
   1/2 रामचन्द्र पुत्र भगवानाराम
   1/3 गवरी पत्नी भगवानाराम
2. राजुराम पुत्र रामुराम
3. सुखराम पुत्र रामुराम फौत के कायम मुकाम
   3/1 गंगाराम पुत्र सुखराम
   3/2 बाबूलाल पुत्र सुखराम
   3/3 गजरों पत्नी सुखराम
4. लाभुराम पुत्र रामुराम
   जाति विश्नोई निवासी नेडीनाडी तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
5. प्रबन्धक,एसबीआई बैंक शाखा धोरीमना
6. तहसीलदार धोरीमना
7. कुशला पुत्र धीमा फौत के कायम मुकाम
   7/1 लाधु पुत्र कुशला
   7/2 पेमा पुत्र कुशला
   7/3 रामचन्द्र पुत्र कुशला फौत के कायम मुकाम
   7/3/1 हनुमान पुत्र रामचन्द्र
   7/3/2 मोहन पुत्र रामचन्द्र
   7/3/3 पालु पत्नी रामचन्द्र
   जाति विश्नोई निवासी लुम्बाणियों की ढाणी नेडीनाडी, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर

..............................असल प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:05:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

हरूराम बनाम भगवानाराम
2018/00029
मैन्युअल नंबर 150/2015
निर्णय दिनांकः 24.06.2025

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री ओमप्रकाश विश्नोई
प्रतिवादीः—श्री रामनिवास विश्नोई
श्री रामजीवण विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88,53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

निर्णय दिनांकः—26.06.2025

—:पर्चा डिक्रीः—

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 286 गै.मु.ढाणी व 287 बा.सोयम कुल रकबा 202—02 बीघा अर्थात 32.7390 वाके ग्राम नेडीनाडी तथा खसरा संख्या 349 रकबा 52—02 बीघा अर्थात 8.4236 है0 बा.सोयम वाके ग्राम लुम्बाणियों की ढाणी पटवार हल्का नेडीनाडी तहसील धोरीमना में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजी में न्यायालय हाजा को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत सभी वादीगणों का पैतृक रूप से हिस्सा बढेगा जबकि प्रतिवादीगण में गंगाराम,बाबूलाल व गजरों के अलावा शेष प्रतिवादीगण का हिस्सा बदस्तुर जारी रहेगा। खेत खसरा संख्या 287 में प्रतिवादी गंगाराम, बाबूलाल व गजरों के प्रत्येक के हिस्सों में से 4—4 बीघा भूमि कम होने पर 1/9 —1/9 हिस्से की जगह 37/404 वां हिस्सा तथा वादी दाना का 1/9 हिस्से की जगह 53/404 वां हिस्सा घोषित किया जाता है तथा भूमि 3.6349 है0 में गंगाराम , बाबूलाल व गजरों के 0.6474 है0 भूमि कम होकर यह भूमि दानाराम, हरूराम के कायम मुकाम व मंगला के कायम मुकाम के खाते में जुड़ जायेगी। हरूराम के 4 वारिश होने से प्रत्येक का 53/1616 वां हिस्सा व मंगलाराम के कायम मुकाम 3 होने से प्रत्येक के 53/1212 वां हिस्सा घोषित किया जाता है। ग्राम लुम्बाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 349 में प्रतिवादी सुखराम के वारिश गंगाराम, बाबूलाल व गजरों के हिस्सों में से 2—2 बिघा भूमि कम होने से इनका 1/9 वें हिस्से की जगह प्रत्येक का 15/208 वां हिस्सा तथा वादी दाना का 31/208 वां हिस्सा , हरूराम के 4 वारिशों के प्रत्येक का 31/832 वां हिस्सा व मंगला के 3 वारिशों में प्रत्येक का 31/624 वां हिस्सा घोषित किया जाता है। ग्राम लुम्बाणियों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 349 में प्रतिवादी राजूराम पुत्र रामुराम को 1/9 सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी भगवानाराराम पुत्र रामूराम के वारिशों को समान रूप से दिया जाकर खसरा नम्बर 349 में राजूराम का नाम हटाकर राजूराम का सम्पूर्ण हिस्सा भगवानाराम के कायम मुकाम के नाम घोषित किया किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी में घोषित हक हिस्से तक संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 24.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:05:17 IST
Reason: SelfAttested

24/6/25

(भागीरथराम आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना—बाड़मेर